भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1156
दिनांक 28 जून, 2019 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)

1156. श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरेः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कई शिशु देखभाल संस्थान (सीसीआई), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अधीन पंजीकृत नहीं हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(ग) सरकार द्वारा पूरे देश में सीसीआई का संपरीक्षण और मानचित्रण सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) ये (ग) : किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे एक्ट) की धारा 41(1) के अनुसार, इस समय लागू किसी अन्य कानून में उल्लिखित किसी बात के होने के बावजूद, ऐसे सभी संस्थान, चाहे वे राज्य सरकार द्वारा अथवा स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित हों, जो पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से, देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों अथवा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए रहने के लिए चलाए जा रहे हों, इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से 6 महीनों की अवधि के भीतर एक निर्धारित प्रक्रिया से इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होंगे, चाहे ऐसे संस्थान केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से, जैसा भी मामला हो, अनुदान प्राप्त कर रहे हों अथवा न कर रहे हों ।

मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के माध्यम से बाल देखरेख संस्थाओं का मानचित्रण कराया है, जो भागीदार गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से चाइल्डलाइन इंडिया द्वारा आयोजित किया गया, इसकी रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है । वर्ष 2007 की रिट याचिका (आ) 102 में 'तमिलनाडु राज्य में अनाथालयों में बच्चों का शोषण' विषय पर तमिलनाडु बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग देश में बाल देखरेख संस्थाओं की सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित कर रहा है ।

******